भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4181** जिसका उत्तर

गुरूवार, **18 जुलाई**, 2019/27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

नए जलमार्गों का निर्माण

4181. श्री थोमस चाज़िकाडनः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलप्पुझा-कोट्टायम-अतिरामपुझा, नहर, कोट्टायम-बाईकोम नहर और कोट्टायम में किसी जल निकाय के माध्यम से नए जलमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत, राष्ट्रीय जलमार्ग-9 अलप्पुझा-कोट्टायम-अतिरामपुझा नहर है जो कोट्टायम से होते हुए बोट-जेट्टी, अलप्पुझा से अतिरामपुझा मार्केट तक जाती है तथा रा.ज.-59 कोट्टायम-वैकम नहर है जो कोडीमथा के समीप कोट्टायम से रा.ज.-3 (कुमाराकोम के पास) को जोड़ते हुए वेचूर तक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने 1.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर रा.ज.-9 के अलप्पुझा-कोट्टायम-अतिरामपुझा नहर के विकास का कार्य शुरू किया है। अलप्पुझा से कोट्टायम (कोडीमथा) के बीच रात्रि नौचालन सुविधाएं स्थापित की गई हैं और यह जलमार्ग फेरी सेवाओं के लिए प्रचालनरत है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के निष्कर्ष को देखते हुए, वर्तमान में रा.ज.-59 के विकास की परिकल्पना नहीं की गई है।

*****